पत्रांकः-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)02-विविध-41/2018.....8904.....

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
सभी मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः-.....01/10/23.....

विषयः- **सड़कों के मरम्मति एवं अनुरक्षण अवधि में कराये गये कार्य विपत्र के साथ Meterial Statement संलग्न करने के संबंध में।**

प्रसंगः- उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-6537 दिनांक-26.07.2023 एवं उप महालेखाकार (कार्य), महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना का ज्ञापांक-WM-VI/2022-23/129 दिनांक-31.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में अंकित बिन्दुओं के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 (31/10-23)
(सुधांशु शेखर राय)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- **पटना, दिनांक-**.....

प्रतिलिपिः-उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 8904 मि/ पटना, दिनांक- 01/11/23

प्रतिलिपिः-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31-10-23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

3096 ITM 3
31/7/23

37.M

31 JUL 2023

पत्र सं०-को०प्र०/विविध-01/2017-6537

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 26/07/2023.

विषयः- **सड़कों के मरम्मति एवं अनुरक्षण अवधि में कराये गये कार्य विपत्र के साथ Material Statement संलग्न करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **उप महालेखाकार(कार्य)**, महालेखाकार(ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-129 दिनांक-31.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सड़कों की मरम्मति एवं अनुरक्षण अवधि में कराये गये कार्य विपत्र के साथ Material Statement संलग्न करने के संबंध में सभी कार्य विभागों को निदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है ।

अतः निदेशानुसार कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र में अंकित बिन्दुओं के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

26/7/2023

(अजय कुमार ठाकुर),
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

1334
16/08/23

1995
7/8/23

N-36 2023

1025
2/8/23

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स / Fax – 0612-2225977
ई-मेल / E-mail | agaebihar@cag.gov.in

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक WM-VI/ /2023
दिनांक 10 APR 2023

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विशेष सचिव वित्त विभाग बिहार, पटना

विषय : **सड़कों के मरम्मति एवं अनुरक्षण अवधि में कराये गये कार्य वि०पत्र के साथ Material Statement संलग्न करने के संबंध में।**

महाशय,

विषय अंतर्गत मामले के संबंध में उल्लेख करना है कि PMGSY तथा अन्य सड़क निर्माण योजना जिसमे योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित अवधि तक मरम्मति एवं अनुरक्षण का प्रावधान होता है, के संदर्भ में प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 01.02.2023 को Video Conference में यह उल्लेख किया गया था कि PMGSY मरम्मति एवं अनुरक्षण का भुगतान Performance Based है इसलिए मापीपुस्त में कराये गये कार्य का प्रविष्टि आवश्यक नहीं है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि :–

1. मूल एकरारनामा के साथ मरम्मति एवं अनुरक्षण का कार्य समाहित होने के स्थिति में अगर खजाने से व्यय होने पर कराये गये कार्य का विवरण मापी पुस्त में प्रविष्टि आवश्यक है एवं उसके साथ Material Statement का होना भी आवश्यक है जिससे कि सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना करने हुए विपत्र से राजस्व की कटौती की जा सके।
2. वैसे एकरारनामा जिसका मूल कार्य के साथ–साथ मरम्मति एवं अनुरक्षण का भी प्रावधान समाहित हो परन्तु मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए अलग से भुगतान का प्रावधान ना किया गया हो। एकरारनामा के साथ मरम्मति एवं अनुरक्षण का प्रावधान होने पर एवं निर्धारित अवधि के समाप्ति पर मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए कर्नांकित राशि का भुगतान के लिए अद्यतन मापी का मापी पुस्त में प्रविष्टि होना आवश्यक है। वशर्ते कि भुगतान या समायोजन की स्थित उत्पन्न हो अथवा नहीं। जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि मरम्मति एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित अवधि का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। इसलिए यह उल्लेख किया जाना कि मरम्मति एवं अनुरक्षण का भुगतान Performance Based की स्थिति में मापी पुस्त में किसी प्रकार की प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है। सर्वथा उचित प्रतित नहीं होता है।

अतः इस संदर्भ में विभागीय स्तर से सभी कार्य प्रमंडलों को दिशा–निर्देश देने की आवश्यता है।

भवदीय

ह०/–

उप महालेखाकार (कार्य)

ज्ञापांक– WM-II/2022-23/129 दिनांक– 31/03/2023

प्रतिलिपि– विशेष/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संदर्भित मामले के संबंध में सभी कार्य विभागों को मार्गदर्शन जारी करने हेतु अग्रसारित।

उप महालेखाकार (कार्य)